

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: एस0एस0ए0/आर0टी0ई0/ 1544

/2022-23

दिनांक: 09/06/2022

प्रधानाचार्य

महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, नगर खुर्जा  
जनपद बुलन्दशहर।

आपने अपने कार्यालय के पत्रांक संख्या:346/एम0ए0पी0एस0/2022 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)ग के अन्तर्गत विद्यालय में छात्र/छात्राओं का प्रवेश कराये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र चाहा है।

उक्त के क्रम में अवगत कराया जाता है कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, नगर क्षेत्र खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)ग के अन्तर्गत छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत है।



(अखण्ड प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर।